रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042021-226790 CG-DL-E-29042021-226790

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1586]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 29, 2021/वैशाख 9, 1943

No. 1586]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 29, 2021/VAISAKHA 9, 1943

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2021

का.आ. 1709 (अ).— केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952) (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 29 मई, 2015 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii), में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय, तारीख 29 मई, 2015 की अधिसूचना सं. का.आ.1433 (अ) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तंभ 2 में निवेश पद्धित से संबंधित प्रवर्ग (v) "एसेट बैक्ड, ट्रस्ट स्ट्रक्चर्ड और प्रकीर्ण निवेशों" के सामने,-

- I. खंड (घ) के पश्चात और पहले परन्तुक से पहले 15 मार्च, 2021 से निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात:-
- "(ड) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनियम बोर्ड द्वारा विनियमित प्रवर्ग I और प्रवर्ग II आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियों (एआईएफ) द्वारा जारी इकाईयां।"
- ii. पहले परंतुक में, 'इस प्रवर्ग सं. (v) के अधीन' शब्दों, कोष्ठक और संख्या के स्थान पर '(क) से (घ) उप-प्रवर्गों में' शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

2421 GI/2021 (1)

iii. दूसरे परंतुक में, 'इस श्रेणी के अधीन' शब्दों के स्थान पर' उप-प्रवर्गों (क) से (घ) में' शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे। iv. तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"परंतु यह भी उपबंध किया जाता है कि निम्नलिखित शर्तों के पूर्ण होने के अध्यधीन उप-प्रवर्ग (ड) में निवेश अनुमत होगा, अर्थात:-

- प्रवर्ग-I के अंतर्गत अनुमत अवसंरचना निधियां, एसएमई निधियां, जोखिम पूंजी निधियां और सामाजिक जोखिम पूंजी निधियां [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियां] विनियम, 2012 में वर्णित किए गए ब्यौरे के अनुसार हैं;
- ii. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियां] विनियम, 2012 के अनुसार प्रवर्ग-II एआईएफ हेतु ऐसी एआईएफ निधियां को कम से कम 51% या एसएमई में या जोखिम पूंजी अथवा सामाजिक कल्याण निकायों में निवेशित किया जाएगा:
- iii. इन निधियों को उन्हीं आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियां (एआईएफ) में निवेश किया जाएगा जिनकी समग्र निधि 100 करोड़ रुपए के बराबर या उससे अधिक है;
- iv. एकल आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियों (एआईएफ) में आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियों के आकार के 10% से अधिक नहीं होगा। तथापि, यह सीमा, सरकार द्वारा प्रायोजित विनिवेश निधियां (एआईएफ) पर लागू नहीं होंगी:
- v. इन निधियों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निवेश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन कंपनियों की प्रतिभूतियों या निगमित निधियों और/अथवा भारत के बाहर से प्रचालित निधियों में न किया जाए;
- vi. आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियां (एआईएफ) निधि के प्रायोजक निधि के प्रवर्तक (प्रोमोटक) या निधि का प्रवर्तक समूह (प्रोमोटर) समूह नहीं होने चाहिए; और
- vii. आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियों (एआईएफ) का प्रबंधन ऐसे निवेश प्रबंधक द्वारा नहीं किया जाएगा जो निधि या निधि के प्रर्वतक (प्रोमोटर) समूह द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर नियंत्रित या संचालित किया जाती है।"

[फा.सं. जी-20031/1(ii)/2012 एसएस-II (पार्ट)]

आर.के.गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) के का.आ.सं. 1433(अ) तारीख 29 मई, 2015 द्वारा प्रकाशित हुई थी और तदनुसार तारीख 22 सितम्बर, 2016 के का.आ. सं. 3035(अ) तारीख 22 सितंबर, 2016 और दिनांक 04 जनवरी, 2021 के का.आ. 28(अ) तारीख 4 जनवरी, 2021 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2021

S.O. 1709 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O.1433(E), dated the 29th May, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section(ii), namely:—

In the said notification, in the Table, in column 2, against category (v) relating to the investment pattern "Asset Backed, Trust Structured and Miscellaneous Investments",—

(I) after clause (d) and before the first proviso, the following clause shall be inserted with effect from the 15th day of March, 2021, namely:—

- "(e) Units issued by Category I and Category II Alternative Investment Funds (AIF) regulated by the Securities and Exchange Board of India:";
- (II) in the first proviso, for the words, letters, brackets and figure "under this category No. (v)",the words, brackets and letters "in sub-categories (a) to (d)" shall be substituted;
- (III) in the second proviso, for the words "under this category", the words, brackets and letters "in subcategories (a) to (d)" shall be substituted;
- (IV) after the thirdproviso, following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that the investments in sub-category (e) is allowed subject to satisfaction of the following conditions, namely:—

- (i) the permitted funds under Category I are infrastructure funds, SME Funds, Venture Capital Funds and Social Venture Capital Funds as detailed in Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012;
- (ii) for Category II- AIF as per Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, at least 51% of the funds of such AIF shall be invested in either of the infrastructure entities or SMEs or venture capital or social welfare entities;
- (iii) Funds shall invest only in those AIFs whose corpus is equal to or more than Rs.100 crores;
- (iv) the exposure to a single AIF shall not exceed 10% of the AIF Size. However, this limit would not apply to a Government sponsored AIF;
- (v) Funds to ensure that investment should not be made directly or indirectly in securities of the companies or Funds incorporated and/or operated outside India;
- (vi) the Sponsor of Alternative Investment Fund should not be the promoter in the Fund or the promoter group of the Fund; and
- (vii) the AIFs shall not be managed by investment manager, who is directly or indirectly controlled or managed by the Fund or the promoter group of the Fund.".

[F. No.G-20031/1(ii)/2012 SS-II (Pt.)]

R.K. GUPTA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 1433(E), dated the 29th May, 2015 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 3035(E), dated the 22nd September, 2016 and S.O. 28(E), dated the 4th January, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2021

का.आ. 1710 (अ).— केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 52 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 23 अप्रैल, 2015 में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ.1071(अ), तारीख 23 अप्रैल, 2015 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना की सारणी के स्तंभ 2 में निवेश पद्धित से संबंधित प्रवर्ग (v) "एसेट बैक्ड, ट्रस्ट स्ट्रक्चर्ड और प्रकीर्ण निवेशों" के सामने,-

(I) खंड (घ) के पश्चात और पहले परन्तुक से पहले 15 मार्च, 2021 से प्रवृत्त निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात:-

- "(ड) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनियम बोर्ड द्वारा विनियमित प्रवर्ग । और प्रवर्ग ॥ आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियों (एआईएफ) द्वारा जारी इकाईयां।"
- ii. पहले परंतुक में, 'इस प्रवर्ग सं. (v) के अधीन' शब्दों, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर '(क) से (घ) उप-प्रवर्गों में' शब्द, अक्षरों, कोष्ठक और अंक्षर रखे जाएंगे।
- iii. दूसरे परंतुक में, 'इस प्रवर्ग के अधीन' शब्दों के स्थान पर' (क) से (घ) उप-प्रवर्गों में' शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे। iv. तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नांकित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"यह भी उपबंध किया जाता है कि निम्न दशाओं के परिपूर्ण होने के अध्यधीन उप-प्रवर्ग (ड) में निवेश अनुमत होगा, अर्थात:-

- प्रवर्ग-। के अधीन अनुज्ञात निधियां भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियां] विनियम, 2012 में वर्णित किए अनुसार अवसंरचना निधियां, एसएमई निधियां, जोखिम पूंजी निधियां और सामाजिक जोखिम पूंजी निधियां हैं;
- ii. प्रवर्ग-II आनुकिल्पिक विनिधान (निवेश) निधियां भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकिल्पिक विनिधान (निवेश) निधियां] विनियम, 2012 के अनुसार प्रवर्ग-II एआईएफ हेतु ऐसी एआईएफ निधियां को कम से कम 51% या तो किसी अवसंरचना संस्था में या एसएमई में या जोखिम पूंजी अथवा सामाजिक कल्याण संस्थाओं में निवेशित होगी;
- iii. निधियों को उन्हीं आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियों में निवेशित किया जाएगा जिनकी राशि 100 करोड़ रुपए के बराबर या उससे अधिक है;
- iv. एकल आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियों को अरक्षितता आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियों के आकार के 10% से अधिक नहीं दी जाएगी। तथापि, यह सीमा सरकार द्वारा प्रायोजित आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियों पर लागू नहीं होगी;
- v. निधियों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निवेश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन कंपनियों की प्रतिभूतियों या भारत से बाहर निगमित या प्रचालित निधियों में न किया जाए;
- vi. आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधि का प्रायोजक निधि का प्रवर्तक या निधि का समर्थक समूह नहीं होना चाहिए: और
- vii. आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियां निवेश प्रबंधक द्वारा संचालित नहीं की जाएंगी जो निधि या निधि के समर्थक समूह द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर नियंत्रित या संचालित किया जाता हो।"।

[फा.सं. जी-20031/1(ii)/2012 एसएस-II (भाग)]

आर.के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3 उप-खंड (ii) में तारीख 23 अप्रैल, 2015 के का.आ. 1071(अ) के माध्यम से प्रकाशित हुई थी और तत्पश्चात् तारीख 22 सितम्बर, 2016 के का.आ. 3034(अ), तारीख 20 अप्रैल, 2018 के का.आ. 1685(अ) और तारीख 30 दिसम्बर, 2020 के का.आ. 4779(अ) के द्वारा संशोधित की गई।

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2021

S.O. 1710 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 52 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O.1071(E), dated the 23rd April, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section(ii), dated the 23rd April, 2015, namely:—

In the said notification, in the Table, in column 2, against category (v) relating to the investment pattern "Asset Backed, Trust Structured and Miscellaneous Investments",—

- (I) after clause (d) and before the first proviso, the following clause shall be inserted with effect from the 15th day of March, 2021, namely:—
 - "(e) Units issued by Category I and Category II Alternative Investment Funds (AIF) regulated by the Securities and Exchange Board of India:";
- (II) in the first proviso, for the words, letters, brackets and figure "under this category No. (v)", the words, brackets and letters "in sub-categories (a) to (d)" shall be substituted;
- (III) in the second proviso, for the words "under this category", the words, brackets and letters "in subcategories (a) to (d)" shall be substituted;
- (IV) after the third proviso, following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that the investments in sub-category (e) is allowed subject to satisfaction of the following conditions, namely:—

- the permitted funds under Category I are infrastructure funds, SME Funds, Venture Capital Funds and Social Venture Capital Funds as detailed in Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012;
- (ii) for Category II- AIF as per Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, at least 51% of the funds of such AIF shall be invested in either of the infrastructure entities or SMEs or venture capital or social welfare entities;
- (iii) Funds shall invest only in those AIFs whose corpus is equal to or more than Rs.100 crores:
- (iv) the exposure to a single AIF shall not exceed 10% of the AIF Size. However, this limit would not apply to a Government sponsored AIF;
- (v) Funds to ensure that investment should not be made directly or indirectly in securities of the companies or Funds incorporated and/or operated outside India;
- (vi) the Sponsor of Alternative Investment Fund should not be the promoter in the Fund or the promoter group of the Fund; and
- (vii) the AIFs shall not be managed by investment manager, who is directly or indirectly controlled or managed by the Fund or the promoter group of the Fund.".

[F. No.G-20031/1(ii)/2012 SS-II (Pt.)]

R.K. GUPTA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 1071(E), dated the 23rd April, 2015 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 3034(E), dated the 22nd September, 2016, S.O. 1685(E), dated the 20th April, 2018 and S.O. 4779(E), dated the 30th December, 2020.